अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2009-2010	संशोधित अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011
क. ऋण	27080.41	27765.93	34735.42
ख. नकद अनुदान	2134.20	3077.59	2060.17
ग. वस्तु अनुदान सहायता	2.00	...	...
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**29216.61**	**30843.52**	**36795.59**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	11033.84	11230.49	12271.33
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**18182.77**	**19613.03**	**24524.26**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	4313.37	3686.08	3745.99
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**13869.40**	**15926.95**	**20778.27**

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई है तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न हैं।

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ के साथ यूरोपीय आयोग से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जा रही है।

उन द्विपक्षीय विकास साझेदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय लिया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

I. यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। अनुदान सहायता के सन्दर्भ में, यू.के. इस समय भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोग साझेदार है।

2. वर्तमान में यू.के. की विकास सहयोग सहायता परस्पर सहमत परियोजनाओं जैसे शिक्षा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका गरीबी उन्मूलन के बढ़े हुए दायरे के कार्य के भीतर प्रदान की जाती है। डीएफआईडी सहायता का लगभग 50% भाग केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और शेष भाग राज्य क्षेत्र परियोजना हेतु प्रदान की जाती है। आन्ध्र-प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पं. बंगाल यू.के. की सहायता के प्राथमिकता वाले राज्य हैं। जून, 2008 में डीएफआईडी ने भारत के लिए अपनी नई देशज योजना 2009-15 की घोषणा की है। यह सहायता भारत सरकार की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना और मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर केन्द्रित होगी।

3. वर्तमान में 22 परियोजनाएं वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त कर रही हैं जबकि 15 परियोजनाएं केवल तकनीकी सहायता प्राप्त कर रही हैं। 2008-09 के दौरान, केवल एक परियोजना, जिसमें 18 मिलियन पौण्ड (145 करोड़ रुपए) अंतर्ग्रस्त है, डीएफआईडी सहायता के लिए हस्ताक्षरित हुई। चालू परियोजनाओं में डीएफआईडी से 1218 मिलियन पौण्ड (लगभग 9,855 करोड़ रुपए) की कुल वचनबद्धता शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2009-10) के दौरान 31.1.2010 की स्थिति के अनुसार डीएफआईडी ने 185.50 मिलियन पौण्ड (1405.57 करोड़ रुपए) का संवितरण, 1,030 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में किया है।

II. जर्मनी

जर्मनी भारत के द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में से एक है। जर्मनी वर्ष 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय सहायता मुख्यतया कम ब्याज वाले ऋण, घटाए गए ब्याज वाले ऋण, विकास ऋण के साथ-साथ केएफडब्ल्यू, जो जर्मन सरकार का विकास बैंक है, के माध्यम से अनुदानों के रूप में प्रदान की गई है। तकनीकी सहायता जीटीजेड, जो जर्मन सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है, के जरिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। भारत जर्मन विकास सहायता कार्यक्रम में ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, क्षेत्र सुधार, शहरी और औद्योगिक पर्यावरण संरक्षण सहित

पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और ग्रामीण वित्त पोषण सहित सतत आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं, एसएमई विकास और वित्त पोषण जैसे पारम्परिक सहमत क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से बाहर, वित्तीय सहयोग पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी रहेगा। जर्मन ओडीए सर्व-भारत कवरेज में होगी।

2. जो मुख्य परियोजनाएं/कार्यक्रम जर्मन सहायता के तहत निधि पोषित की जा रही हैं, वे हैं, ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम, ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), रेल सिग्नल प्रणाली, आईआरईडीए आदि को वित्तीय सहायता।

3. वर्ष 2009-10 के दौरान सरकारी ऋणों का कुल संवितरण 31 जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार 165.84 करोड़ रुपए था जबकि सरकारी अनुदानों के सम्बन्ध में संवितरण 29.04 करोड़ रुपए था।

III. इटली

इटली वर्ष 1981 से भारत को रियायती ऋण के रूप में द्विपक्षीय सहायता प्रदान कर रहा है और इटली सरकार और भारत सरकार के बीच दिनांक 31.3.2009 तक 21 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

2. वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के 16 शहरों में 'जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना' एकमात्र परियोजना चालू है। इटली इस परियोजना हेतु 25.82 मिलियन यूरो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहा है।

IV. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करते आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, अनुदान सहायता और तकनीकी सहयोग जेआईसीए (जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत को सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। 2003-04 से भारत जापानी ओडीए ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

2. वित्तीय वर्ष 2009-10 (31.01.2010 तक) भारत को वितरित ओडीए ऋण 59,199 बिलियन जापानी येन (3,207.58 करोड़ रुपए) है। जापान से सहकारी विकास सहायता (ओडीए) नीचे दर्शायी गई स्थिति के अनुसार होने की संभावना है:-

जापान से ऋणः		
स.अ. 2009-2010	-	5893.10 करोड़ रुपए
ब.अ. 2010-2011	-	8860.91 करोड़ रुपए
जापान से अनुदान;		
स.अ. 2009-2010	-	1.00 करोड़ रुपए
ब.अ. 2010-2011	-	2.00 करोड़ रुपए

3. वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समर्पित भाड़ा कोरीडोर के लिए ऋण करार पर 27.10.2009 को हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित परियोजाओं के लिए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना हैः

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (V)
2.	कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)

4. इसके अलावा, जापान से प्राप्त ओडीए ऋण सहायता मौजूदा 56 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

V. रूसी परिसंघ

1. न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वीवीईआर-1000 टाइप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 2000 मेगावाट क्षमता (दो इकाइयां) की कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच दिनांक 20.11.1988 को हस्ताक्षरित अंतर-सरकार करार और दिनांक 21.6.1998 को हस्ताक्षरित उसके समर्थक दस्तावेज के तहत तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। रूसी परिसंघ, उपर्युक्त परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2600 मिलियन अमरीकी डालर का राज्य ऋण देने के लिए सहमत है।

2. वर्ष 2010-2011 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए 33.18 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

VI. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएआईडी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

2. 2009-10 में (31 मार्च 2010 तक) वितरित होने वाली कुल सहायता 8 करारों के लिए 24.28 मिलियन अमरीकी डालर होगी।

3. पीएल-480 शीर्षक कार्यक्रम के अधीन 11.0 मिलियन अमरीकी डालर की वस्तु सहायता 2009-10 के दौरान (31 मार्च, 2010 तक) अमरीकी सहायता द्वारा दी गई है।

4. सं.अ. 2009-10 के लिए 113.73 करोड़ रुपए और ब.अ. 2010-11 के लिए 122.99 करोड़ रुपए रखा गया है।

VII. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत 1966 से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य रहा है। एडीबी एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने में कार्यरत है। यह विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने और निष्पादित करने में ऋण तकनीकी सहायता, और अन्य परामर्शी सेवाओं, गारंटियों, अनुदानों, नीतिगत वार्ताओं के रूप में सहायता प्रदान करता है।

2. भारत एडीबी से सरकार द्वारा जारी समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के भीतर ऋण लेता है जिसमे दीर्घावधिक परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर निधियां जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत ने एडीबी (सामान्य पूँजी मात्र) से 1986 से उधार लेना प्रारम्भ किया है। हालांकि, भारत एशिया विकास निधि (एडीएफ) जिससे रियायती निधिपोषण प्राप्त होता है, से आंशिक रूप से ऋण प्राप्त करने का पात्र हैं, परन्तु भारत ने जानबूझकर स्वयं को इस सुविधा से बाहर रखा है ताकि अल्पतम विकसित देश इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।

3. 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार एडीबी के पोर्टपोलियो में 9.144 बिलियन अमरीकी डॉलर की निवल ऋण राशि सहित 53 ऋण शामिल हैं।

4. एडीबी ने सुनामी के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का विशेष अनुदान और तमिलनाडु तथा केरल राज्य को अपातकालीन राहत के रूप में 10.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के 3 जेएफपीआर (गरीबी उन्मूलन की जापान निधि) भी प्रदान किया।

5. कैलेण्डर वर्ष 2009 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित हुई/एडीबी के साथ बातचीत की गईः-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राशि मिलियन अमरीकी डालर में
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र राजधानी शहर विकास निवेश कार्यक्रम (एमएफएफ) (ट्रांश-1)	30
2.	नैशनल पावर ग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम (ट्रांश-2)	200
3.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (ट्रांश-5)	166
4.	असम विद्युत क्षेत्र वर्धित निवेश कार्यक्रम (एमएफएफ)	200
5.	मिजोरम सरकारी संसाधन प्रबधन और विकास कार्यक्रम (नियमित ऋण)	100
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर-1 (पूरक वित्त पोषण) (नियमित ऋण)	100
7.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II निवेश कार्यक्रम (ट्रांश-4)	185
8.	भारत अवसंरचना परियोजना वित्तपोषण सुविधा (आईआईपीएफएफ)-II)	210
9.	झारखंड राज्य सड़क विकास योजना	200
10.	समावेशी पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना	21
	जोड़	**1412**

VIII. यूरोपीय आयोग (ईसी)

यूरोपीय आयोग (ईसी) 1976 से भारत को विकास सहयोग सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ईसी सहायता अनुदान के रूप में है और वर्तमान में यह पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है।

2. ईसी द्वारा भागीदार देशों के लिए अपने देशी कार्यनीति कागजातों के द्वारा बहु-वार्षिक आर्थिक और विकास सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। यूरोपीय आयोग ने दिनांक 20.7.2007 को भारत 2007-2013 के लिए नया देशीय कार्यनीति दस्तावेज (सीएसपी) जारी किया था। सीएसपी के अंतर्गत दो बहुवार्षिक निर्देशात्मक कार्यक्रम (एमआईपी) होंगें। पहले एमआईपी के अंतर्गत वर्ष 2007-2010 की अवधि के लिए 260 मिलियन यूरो की कुल राशि की वचनबद्धता की गई है और भारत और यूरोपीय आयोग के बीच दिनांक 30.11.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमआईपी-1 के तहत आयोग ने स्वास्थ्य के लिए 110 मिलियन यूरो, शिक्षा के लिए 70 मिलियन यूरो और संयुक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु 80 मिलियन यूरो के आवंटन की सहमति दी है। एमआईपी-II के लिए ईसी द्वारा 2011-13 की अवधि के लिए कुल 210 मिलियन यूरो रखे गए हैं।

IX. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं जिनमें विश्लेषणात्मक और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है।

2. 12 फरवरी, 2008 से आईबीआरडी ने अपने ऋण प्रस्तावों, नियत विस्तार ऋण (एफएसएल) और परिवर्ती विस्तार ऋण (वीएसएल) को एक उत्पाद श्रेणी - आईबीआरडी लचीला ऋण अथवा आईएफएल में समेकित किया है। एफएसएल और वीएसएल में परिवर्ती आधार दर (6 माह लिबोर) के साथ-साथ विस्तार को समाप्त कर दिया गया है। प्रत्येक ब्याज भुगतान की तारीख को ऋण दर पुनः निर्धारित की जाती है और उन तारीखों को आरंभ ब्याज अवधियों पर लागू होती

है। विस्तार को "नियत" अथवा 'परिवर्ती' बनाया जा सकता है जो उधारकर्ता के विकल्प पर निर्भर करेगा।'परिवर्ती' विकल्प के लिए विस्तार में निधिपोषण के लिए 6 माह लिबोर (वर्ष में दो बार पुनः परिकलित) के सापेक्ष आईबीआरडी का भारित औसत लागत मार्जिन तथा आईबीआरडी का संविदात्मक ऋण विस्तार होता है। अधिकतम अंतिम परिपक्वता अवधि छूट अवधि सहित (इसके दौरान केवल ब्याज अदा किया जाता है) 30 वर्ष है। कोई वचनबद्धता शुल्क देना नहीं होगा और ऋण राशि का 0.25 प्रतिशत फ्रंट एंड शुल्क देना होगा।

3. आईबीआरडी का ऋणों के जरिए दिनांक 31-9-2009 तक संचयी ऋण 36,217.26 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि बिजली, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, बैंकिंग क्षेत्र पुनर्संरचना, अवसंरचना वित्तपोषण आदि परियोजनाओं के लिए हैं।

4. वर्ष 2009 (दिनांक 31.3.2009 तक) के दौरान 5105 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता राशि के साथ छह नई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

X. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईडीए सहायता विश्व के 79 निर्धनतम देशों पर केन्द्रित है जिन्हें यह ब्याज मुक्त ऋण (क्रेडिट के रूप में ज्ञात) और अन्य ऋण भिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आईडीए अपने अधिकांश वित्तीय संसाधनों के लिए अपने सदस्य देशों जिसमें कुछ विकासशील देश शामिल हैं, के अंशदान पर निर्भर करता है।

2. दिनांक 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और दिनांक 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण की संवितरित राशि पर वार्षिक 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है।

3. भारत को आईडीए सहायता 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 33,309.56 मिलियन अमरीकी डालर है। वर्ष 2009 के दौरान (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2009 तक) 447 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता के साथ तीन नयी परियोजनाएं अनुमोदित की गयीं। (ये वचनबद्धताएं ग्रामीण जलापूर्ति, गरीबी उन्मूलन तथा कृषि विकास जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए हैं।

XI. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। 165 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन सूचियों में वर्गीकृत किया गया हैः सूची-कः विकसित देश, सूची-खः तेल उत्पादक देश और सूची-गः विकासशील देश। भारत सूची-ग में है। आईएफएडी का प्रमुख एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है और इसकी एक गवर्निंग काउंसिल और एक एक्जीक्यूटिव बोर्ड होता है।

2. भारत आईएफएडी के मूल सदस्य देशों में एक है। स्थापना के समय से, भारत ने आईएफएडी के संसाधनों में 79 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। 8वें पुनर्भरण के लिए, भारत ने आईएफएडी के संसाधनों में 25 मिलियन अमरीकी डालर राशि की वचनबद्धता की है। वित्त वर्ष 2009-10 में 250 मिलियन अमरीकी डालर का कुल अंशदान 9 मिलियन अमरीकी डालर के 3 किस्तों में जमा किया जाएगा और वित्त वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 दोनों में 8 मिलियन अमरीकी डालर के किस्त में जमा किया जाएगा।

3. 31.3.2009 तक, आईएफएडी ने 636.4 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और ग्रामीण वित्त क्षेत्र में 23 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इनमें से, 15 परियोजनाएं पहले ही बन्द हो चुकी हैं। इस समय 254.35 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से आठ परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

4. आईएफएडी ऋणों की अदायगी 40 वर्ष की अवधि में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है और इन पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (0.75%) की दर से सेवा प्रभार लगाया जाता है।

XII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1951 से देश में मौजूद भारत का विकास में भागीदार रहा है। यूएनडीपी का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय रक्षा को प्राथमिकता देकर स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। यूएनडीपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में होती है।

2. यूएडीपी अपनी निधियां विभिन्न दाता देशों से स्वैच्छिक अंशदान से जुटाता है। भारत यूएनडीपी को 4.5 मिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक अंशदान देता है, यह विकासशील देशों में से सबसे अधिक है।

3. सितंबर 2007 में अपनाए गए नए देशगत कार्यक्रम के लिए अनुमानित कुल संसाधन आवश्यकता 150-200 मिलियन अमरीकी डालर है। जिसमें से एक तिहाई केंद्रक होगी, एक तिहाई गैर-केंद्रक होगी तथा शेष यूएन न्यास निधि आदि से जुटाई जाएगी।

4. देशगत कार्यक्रम कार्य योजना (सीपीएपी) जो 2008-12 की अवधि के दौरान यूएनडीपी कार्यक्रमों का मार्गनिर्देशन करेगी, पर भारत और यूएनडीपी के बीच 27.2.2008 को हस्ताक्षर हुए थे, जो 31 दिसम्बर 2012 तक प्रवृत्त रहेगी।

5. सीपीएपी के तहत अभी तक लगभग 194 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	प्राप्तियां			वापसी-अदायगियां		
	बजट अनुमान 2009-2010	संशोधित अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011	बजट अनुमान 2009-2010	संशोधित अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011
बहुपक्षीय						
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक	5325.87	5174.26	14820.85	1827.28	1755.96	2161.95
अंतराराष्ट्रीय विकास संघ	5769.86	7387.35	4102.82	3850.89	3849.12	4055.35
अंतराराष्ट्रीय कृषि और विकास निधि	130.10	129.28	165.12	51.05	50.99	54.10
एशियाई विकास बैंक	7352.38	7760.71	5230.36	621.05	605.54	935.65
पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एस. ए. सी)	...	...	...	6.99	7.38	7.30
पैट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	9.00	20.00	...	4.06	3.96	8.49
कुल (बहुपक्षीय)	**18587.21**	**20471.60**	**24319.15**	**6361.32**	**6272.95**	**7222.84**
द्विपक्षीय						
जर्मनी	294.04	685.13	1442.64	453.74	488.02	498.66
फ्रांस	...	...	...	239.22	257.28	249.50
इटली	20.00	23.22	79.54	...	...	...
जापान	7575.54	5893.10	8860.91	3115.34	3210.25	3241.94
स्विटजरलैंड	...	...	...	2.97	3.22	3.39
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	282.57	274.61	218.14
रूसी संघ	603.62	692.88	33.18	578.68	724.16	836.86
कुल (द्विपक्षीय)	**8493.20**	**7294.33**	**10416.27**	**4672.52**	**4957.54**	**5048.49**
कुल जोड़	***27080.41***	***27765.93***	***34735.42***	***11033.84***	***11230.49***	***12271.33***

विवरण 2
विदेशी मित्र देशों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2009-2010	संशोधित अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011
बहुपक्षीय			
एशियाई विकास बैंक	42.36	75.00	...
अंतराराष्ट्रीय कृषि और विकास निधि	10.00	19.10	2.00
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक	2.00	12.20	11.94
अंतराराष्ट्रीय विकास संघ	10.25	2.70	6.35
द्विपक्षीय			
जर्मनी	76.00	38.60	56.40
जापान	50.00	1.00	2.00
यूनाइटेड किंगडम (अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग)	1030.00	1580.49	1192.00
पूर्वी यूरोपीय समुदाय	350.00	400.00	450.00
संयुक्तराज्य अतंरराष्ट्रीय विकास अभिकरण	83.81	113.73	122.99
अन्तरराष्ट्रीय निकाय			
वैश्विक पर्यावरण निधि	407.00	704.15	82.50
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	67.78	85.76	84.99
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि	7.00	44.86	49.00
जोड़	**2136.20**	**3077.59**	**2060.17**